सार-समाचार

दो बदमाश पकड़े, 23 मोबाइल बरामद

उदयपुर, (कासं)। शहर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने मोबाईल पर बातचीत करते राह चलते लोगों के मोबाईल छिनने वाली गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से तेबीस मोबाईल बरामद किए। प्रकरण के अनुसार पीडित धूलराम पुत्र हरजा निवासी मोडपुरा गिंगला सलूम्बर ने 21 जून को पुलिस थाना हिरणमगरी में रिपोर्ट दी। जिसमें उसने बताया कि मैं व मेरा साथी मुकेश एनल कोचिंग के सामने निर्माणाधीन मकान में मार्बल का काम करके रात के समय पैदल पैदल हंसा पैलेस की तरफ जा रहे थे। जहां बीच रास्ते पिछे से एक बाइक पर आए तीन बदमाश पास आकर रूके तथा एक बदमाश झपट्टा मार कर मेरे हाथ से मोबाईल छीन ले गया। मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित के सुपरविजन में हिरणमगरी थानाधिकारी दर्शनसिंह के नेतृत्व में बसन्तीलाल एएसआई मय टीम ने पीडित से की गई पूछताछ एवं अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर अनिल पुत्र रतनलाल निवासीआमली घाटी काया गोवर्धन विलास तथा गोविंद पुत्र कालुलाल निवासी विनायक डेयरी के पास लालमगरी सविना को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 23 मोबाईल बरामद किए। आरोपी रात 9 से 11 बजे तक शहर में बाइक पर घूम रैकी कर मोबाईल छीनने की वारदातों को अंजाम दिया करते थे।

धोखाधड़ी का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। हिरणमगरी थाना पुलिस ने पीडित का ऋणशुदा वाहन के कूटरचित दस्तावेज से दूसरे को बेच कर नकदी हडपने वाले आरोपी व साथी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसर भवंरसिंह पुत्र केसरसिंह निवासी रूणीजा हॉल भेरव दुध डेयरी के पास हिरणमगरी सेक्टर 5 प्रभातनगर ने आरोपी विजय पटेल पुत्र देवीलाल निवासी नई माली कॉलोनी नंदवाना समाज नोहरे के पास टेकरी तथा दीपक पटेल पुत्र प्यारचंदपटेल निवासी परानी बस्ती बिछीवाड़ा झाड़ोल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि वर्ष 2023 में मेरा ऋणशुदा पिकअप वाहन आरोपी विजय ने खरीदने का सौदा 6 लाख 15 हजार 500 रूपये में तय किया। इस दौरान 51 हजार 500 रूपये तय अठिाम देकर शेष नकदी का चैक दिया। आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज जरिये आरटीओं से उक्त वाहन को दीपक के नाम करवा दिया। आरोपी दीपक ने भी 5 लाख 64 हजार 500 रूपये का चैक दिया। जो बैक में प्रस्तुत किया तो अनादरित हो गया। इस दौरान कूटरचित दस्तावेज से वाहन ट्रांसफर करने की जानकारी सामने आई। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

सड़क हादसे में दो की मौत

उदयपुर, (कासं)। डबोक थानाक्षैत्र में हुए सड़क हादसे में घायल श्रमिक की मौत हो गई। इसी तरह प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुए हादसे में युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार डबोक थाना क्षैत्र भूतपुरा कट पर सडक पार करते समय बाइक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक भुतपुरा निवासी माधुलाल (38) गंभीर घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर एएसआई गणपतनाथ ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। माधुलाल मजदूरी करता था एवं बाइक पर भटेवर से गांव लौट रहा था। बीच रास्तें मैं हादसा हो गया। इसी तरह प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात में राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर हुए सडक हादसे में बाइक सवार देबारी निवासी मुकेश भील गंभीर घायल हो गया जिसकी आज उपचार के दौरान मौत हो गई। मुकेश बाइक पर देबारी से घर लौट रहा था। पीछे से आए अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया था।

तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों ने दिया धरना

उदयपुर,(कासं)। पेसिफिक मेडिकल विवि के तहत संचालित होने वाले तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों ने जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के सामने शहीद स्मारक पर कॉलेज की मान्यता एवं आरएन नंबर के लिए नर्सिंग कॉसिंल एवं सरकार के खिलाफ धरना देकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धरना देकर स्वास्थ्य मंत्री एवं सरकार से न्याय की गुहार लगाई।

■ **नर्सिंग विद्यार्थी विकास सारंग ने बताया कि आरएन नम्बर के अभाव में नौकरी न मिल पाने के कारण छात्र व आश्रितों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है**

तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रों ने धरना दिया।

नर्सिंग विद्यार्थी विकास सारंग ने बताया कि आरएन नम्बर नहीं मिलने से विद्यार्थी मानसिक रूप से तनाव में है साथ ही आरएन के अभाव में नौकरी न मिल पाने के कारण से छात्रों एवं उनके आश्रितों पर आर्थिक संकट भी मंडरा रहा है। इन विद्यार्थियों ने पढ़ाई के लिए किसी के परिजन ने बैंक से लोन लिया तों किसी ने अपनी जमीन बेच कर फीस जमा कराई और अपनी पढाई पूरी की लेकिन नर्सिंग कॉसिंल एवं सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण बच्चों को अभी तक आरएन नम्बर नहीं मिल पाया है जिसके कारण विधार्थीयों को बेरोजगारी का सामना करना पड रहा है।

नर्सिंग विद्यार्थी देवाराम ने बताया कि राजस्थान नर्सिंग कॉसिंल के इस गैर जिम्मेदार निर्णय के खिलाफ कॉलेज प्रबंधन नें भी जमकर आवाज उठाई साथ ही कॉलेज प्रबंधन नर्सिंग कॉसिंल के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर चप्पलें घिस चुकें है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके कारण तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 300 से अधिक नर्सिंग छात्रों के भविष्य दाव पर लगा हुआ है। गौरतलब है कि नर्सिंग की शिक्षा के लिए आईएनसी और आरएनसी ने तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अध्यनरत छात्रों को 2016-17,2017-18,2018-19,2019-20 एवं 2020-21 बैच के विद्यार्थियों को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दोनों सरकारी एजेंसियों से मान्यता दी गई, विद्यार्थियों ने मान्यता देखकर ही कॉलेज में दाखिला लिया तब से वह यहां नियमित विद्या अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की किया जिसे राज्य सरकार ने मंजूर करते हुए तब से संबंधित अध्यनरत विद्यार्थियों को छात्रवृतियां आज तक प्रदान की जा रही है। गत 13 जनवरी 2022 को सरकार द्वारा एक लेटर जारी कर कॉलेज को अवगत कराया गया की 2021-22 से मान्यता को रद्द किया जाता है किंतु उस लेटर में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि पिछले बेच के बच्चों पर ये आदेश लागू होगा। यहां अध्ययनरत बच्चों की विडंबना यह है इन बच्चों ने मान्यता देख कॉलेज में दाखिला लिया, सरकार द्वारा समय-समय पर दी जा रही छात्रवृत्तियों उन्हें मिली किंतु आज इनका भविष्य अधर में है।

रथ यात्रा सात जुलाई को

उदयपुर, (कासं)। आगामी 7 जुलाई को शहर में श्री श्री श्री 1008 श्री जगन्नाथ राय जी की जगदीश मन्दिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी इससे पूर्व 30 जून 2024 रविवार को श्री रथ समिति द्वारा गठित कमेटी सदस्य हिम्मत माली , हेमंत कसारा, कार्तिक दखनी, सुरेंद्र सिंह आदि कार्यकर्ताओएवं अन्य सदस्यों के नेतृत्वमें रथ यात्रा मार्ग को भगवा ध्वज पताकाओं से बड़े धूमधाम के साथ सजाया जाएगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
पन्नाधाय कॉलोनी शाखा
जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान
ई-मेल: vjchga@bankofbaroda.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **श्री राम चन्द्र रेगर पुत्र श्री वरदी चन्द्र रेगर एवं सह-ऋणी श्रीमती लीला आर्य पत्नी श्री राम चन्द्र रेगर** पर मांग सूचना **दिनांक 18.04.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 17.04.2024 को बकाया राशि रू. 20,16,736.52 (रूपये बीस लाख सोलह हजार सात सौ छत्तीस एवं पैसे बावन मात्र) (दिनांक 13.04.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 25, माह जून, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।
ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 17.04.2024 को बकाया राशि रू. 20,16,736.52 (रूपये बीस लाख सोलह हजार सात सौ छत्तीस एवं पैसे बावन मात्र) (दिनांक 13.04.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, पन्नाधाय कॉलोनी शाखा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री राम चन्द्र रेगर पुत्र श्री वरदी चन्द्र रेगर के नाम आवासीय मकान जो आराजी नं. 172, ग्राम मंडफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312027 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। सीमाएं- उत्तर: कन्हैया लाल की दुकान, दक्षिण: रोड़, पूर्व: रोड़, पश्चिम: नानूराम रेगर की भूमि
दिनांक: 25.06.2024 हस्ता.
स्थान: चित्तौड़गढ़ मुख्य प्रबन्धक एवं प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
पन्नाधाय कॉलोनी शाखा
जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान
ई-मेल: vjchga@bankofbaroda.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **मैसर्स श्री राम एंटरप्राईजेज प्रोपराईटर श्रीमती लीला आर्य पत्नी श्री राम चन्द्र रेगर एवं जमानतदार श्री राम चन्द्र रेगर पुत्र श्री वरदी चन्द्र रेगर** पर मांग सूचना **दिनांक 18.04.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 17.04.2024 को बकाया राशि रू. 24,70,437.38 (रूपये चौबीस लाख सत्तर हजार चार सौ सैंतीस एवं पैसे अड़तीस मात्र) (दिनांक 13.04.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 25, माह जून, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।
ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 17.04.2024 को बकाया राशि रू. 24,70,437.38 (रूपये चौबीस लाख सत्तर हजार चार सौ सैंतीस एवं पैसे अड़तीस मात्र) (दिनांक 13.04.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, पन्नाधाय कॉलोनी शाखा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती लीला आर्य पत्नी श्री राम चन्द्र रेगर के नाम आवासीय मकान जो पट्टा नं. 52, ग्राम मंडफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312027 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1904 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: रोड़, दक्षिण: गोकुल रेगर की सम्पत्ति, पूर्व: बालू राम गाडरी की सम्पत्ति, पश्चिम: वरदी चंद की सम्पत्ति
दिनांक: 25.06.2024 हस्ता.
स्थान: चित्तौड़गढ़ मुख्य प्रबन्धक एवं प्राधिकृत अधिकारी

डॉ. चित्रसेन की कृति बनी आकर्षण का केन्द्र

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुई इंटरनेशनल आर्ट रेजिडेंसी एवं एग्जीबिशन।

उदयपुर, (कासं)। ललिता ट्रस्ट गोरखपुर और आर्टिस्ट गिल्ड ऑफ अजीतगढ़, मोहाली के संयुक्त तत्वावधान में देश और विदेश के कंटेंपरेरी आर्टिस्ट्स का "समर शो" इंटरनेशनल आर्ट रेजिडेंसी एण्ड एग्जीबिशन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित निकोलस रोइरिच इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में किया जा रहा है।प्रदर्शनी में राजस्थान उदयपुर के कलाकार डॉ. चित्रसेन की कृति आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है।

25 जून से जारी इस प्रदर्शनी में देश के पंजाब के चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश के गोरखपुर, राजस्थान के उदयपुर, हिमाचल प्रदेश के शिमला एवं नाहन तथा हरियाणा के हांसी के कलाकारों सहित नेपाल, मॉरीशस, बांग्लादेश और जर्मनी के वरिष्ठ कलाकार भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में चंडीगढ़ से प्रोफेसर इश्वर दयाल, विभा हांडा, आनंद शिंदे, अजय तंवर, अमोध हांडा, कुलदीप सोनी, गोरखपुर से डॉ. भारत भूषण, हांसी से भानु श्रीवास्तव, उदयपुर से डॉ. चित्रसेन, शिमला एवं नाहन से क्रमशः प्रवीण पंडित एवं विभूति सिंह, पठानकोट (पंजाब) से सुरेश पठानिया एवं हरकिरन कौर तथा बांग्लादेश से रुबीना नरगिस, मारीशस से डॉ. विक शिबदोयाल, नेपाल से किशोर नकर्मी, लक्ष्मी प्रसाद खोटीजा, प्रधुम्न श्रेष्ठ, प्रकाश मानन्धर,कांछा काजी भसीमा, जूजू काजी श्रेष्ठ और जर्मनी से आनन्द स्वरूप आदि कलाकार भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में चित्रकला की विविध विधाओं में बनी कृतियां लैंडस्केप, कंपोजिशन, पोर्ट्रेट आदि वाटर कलर, आइल कलर, एक्रेलिक, फोटोग्राफी, चारकोल , वुडकट, सेरीग्राफी, पेन एण्ड इंक, स्टेन्ड ग्लास के अतिरिक्त मिक्स मीडियम में बनी हैं। यह प्रदर्शनी 30 जून 11 बजे से सायं 7 बजे तक दर्शकों के अवलोकनार्थ खुली रहेगी।

झांकियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

उदयपुर,(कासं)। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा समिति उदयपुर द्वारा रथ यात्रा की भव्यता एवं उदयपुर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुखो,भजन मंडलियों, एवं रथ यात्रा में शामिल होने वाली झांकियो के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु रथ यात्रा समिति के संयोजक दिनेश मकवाना के नेतृत्व में टीम संपर्क में लगी हुई है।

समिति के मीडिया प्रभारी राजेंद्र सेन ने बताया कि 7 जुलाई को जगदीश चौक से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ स्वामी की विशाल रथ यात्रा में व्यवस्थाएं बनाए रखने,धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप में रथ यात्रा को निकल निकालने तथा रथ यात्रा में शामिल होने वाली झांकियो के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है इस हेतु जनसंपर्क कर उन्हें बताया जा रहा है। रथ समिति द्वारा समिति अध्यक्ष राजेंद्र श्रीमाली के नेतृत्व में समिति की टीम चांदी के रथ की साफ सफाई,पॉलिश, टूट-फूट को सही करने में लगी हुई है। उदयपुर शहर में निकलने वाली रथ यात्रा के मार्ग को ध्वजा पताकाओ से सजाने एवं भक्तों के घरों पर ध्वजा पताका लगाने हेतु जगदीश चौक कार्यालय में पताकाएं दी जा रही है।रथ यात्रा समिति की पहली एवं अंतिम बैठक 29 जून को शाम 5:30 बजे आसींद की हवेली पार्किंग स्थल पर सभी समाजों संगठनों के प्रमुख पदाधिकारीयो के लिए रखी गई हैए जिसमें रथ यात्रा में शामिल होने वाली झांकियो के रजिस्ट्रेशन एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में सुझाव एवं निर्देशन प्रदान किए जाएंगे।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
उदयपुर (मुख्य) शाखा, पोस्ट बॉक्स नं. 11, टाउन हॉल, उदयपुर-313001 (राजस्थान), फोन: 0294-2410226, 2422148, 2420671, 2421673
ई-मेल: udaipu@bankofbaroda.com

अनुबंध-क अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
"परिशिष्ट-IV-क" [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जितनी भी उपलब्ध है" और "दायित्व रहित" के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा**, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खाते की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते- **मैसर्स प्रिसियस मेटल्स रिसाइकलर्स प्रोपराईटर एवं जमानतदार- श्रीमती रानू सिंघवी पत्नी श्री कमल सिंघवी** 248/18, अशोक नगर, उदयपुर-313001, राजस्थान **एवं जमानतदार- मैसर्स प्रिसियस मशीनरी टूल्स प्रोपराईटर श्रीमती रानू सिंघवी पत्नी श्री कमल सिंघवी एवं श्री नितिन पारीख पुत्र श्री के एल जैन** 248/18, अशोक नगर, उदयपुर-313001, राजस्थान
कुल बकाया राशि मांग पत्र के अनुसार- रूपये 2,39,99,009.20 दिनांक 08.10.2022 को बकाया एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।
वर्तमान बकाया राशि- रूपये 1,20,01,478.19 दिनांक 22.06.2024 को बकाया एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।
कब्जे की स्थिति (प्रलक्षित/वास्तविक)- वास्तविक
संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय- 02.08.2024, सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक- 07.08.2024
ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय- दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक

ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बोली वृद्धि राशि
श्रीमती रानू सिंघवी पत्नी श्री कमल सिंघवी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 18-वी, अम्बावगढ़, उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4005.00 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: प्लॉट नं. 18-यू, दक्षिण: प्लॉट नं. 18-डब्ल्यू, पूर्व: रोड़, पश्चिम: रोड़ अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं	आरक्षित मूल्य- रूपये 1,98,25,000/- धरोहर राशि- रूपये 19,82,500/- बोली वृद्धि राशि- रूपये 50,000/-
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं https://ibapi.in देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से **दूरभाष नं.- 0294-2410226, 2422148, 2420671, 2421673, मोबाईल नं. 8875006669** पर संपर्क कर सकते है।	विवरण के लिए यहां स्कैन करें

दिनांक: 27.06.2024 हस्ता.
स्थान: उदयपुर (मुकेश कुमार फुलवारी), प्राधिकृत अधिकारी

पर्यावरण स्वीकृती सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्टेट लेवल एन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑथोरिटी जयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.B2(23245)/ 2021-22, दिनांक 28/03/2024 एवं शुद्धि पत्र पत्र क्रमांक F1 (4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.1(a) B2 (23245)/ 2021-22, दिनांक 25/06/2024 द्वारा मैसर्स पी.एम.इन्टरनेशनल, निकट ग्राम खेमाखेडा, तहसील कुंवारिया एवं जिला राजसमन्द , में स्थित खनन पट्टा प्लॉट संख्या 30/2023, क्षेत्रफल 1.2740 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता 106455 TPA (ROM) वास्ते खनिज मेसेनरी स्टोन के पक्ष में पर्यावरण क्लीरियेन्स जारी की गई है। पर्यावरण क्लीरियेन्स की प्रति राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल(राज.) (SEIAA) राजस्थान जयपुर व सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध है।

पुतला फूंका

बांसवाड़ा, (निसं)। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छोटी सरवन ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के दिए विवादस्पद बयान के विरोध में गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पुतला फूंककर ज्ञापन दिया। जिला कांग्रेस कार्यालय से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अंकित निनामा के नेतृत्व निकाली गई रैली में बडी संख्या में ग्रामीण सम्मिलित हुए और आक्रोश व्यक्त कर नारेबाजी की। रैली में जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोसी, पीसीसी सदस्य राकेश सेठिया सहित अनेक मौजूद रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत मोही, पंचायत समिति व जिला-राजसमंद
क्रमांकः-ग्रा.पं.मो./2024-25/निविदा/15 दिनांकः- 25/06/2024

ई निविदा सूचना

ग्राम पंचायत मोही में नरेगा योजनान्तर्गत एवं अन्य योजनान्तर्गत एवं अन्य योजना में सामग्री सप्लाई कराने ग्रा.प./लेखा/ई-टेण्डर 2024-25/15 दिनांक 24.6.2024 के अनुसार वर्ष 2024-2025 हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सूचना विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
NIB ZRR2425A0016
UBN ZRR2425GLOB00049 UBN. ZRR2425GLOB00050

रतनलाल भील, सरपंच, ग्राम पंचायत मोही
निधी आचार्य, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मोही

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान
चौकाघाट, वाराणसी - 221002

प्रवेश सूचना
वस्त्र प्रसंस्करण में पोस्ट डिप्लोमा

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी द्वारा 16 जुलाई, 2024 से प्रारम्भ सत्र 2024-25 हेतु वस्त्र प्रसंस्करण में पोस्ट डिप्लोमा में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. **पात्रता**:- अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्ष का हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा / हथकरघा एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/वस्त्र प्रौद्योगिकी/ वस्त्र रसायन/वस्त्र प्रसंस्करण में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो।
   अथवा
   किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज / यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक (B.Sc.) अथवा 10+2 स्तर पर भौतिक (फिजिक्स) एवं रसायन (केमिस्ट्री) के साथ गृह विज्ञान में स्नातक (B.Sc. Home Science) उत्तीर्ण किया हो।
2. **प्रवेश प्रकिया**: पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा ही संबंधित संस्थानों में प्रवेश दिये जायेंगे।
3. **आरक्षण**: ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्लूएस श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 27 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
4. **पाठ्यक्रम की अवधि**: 1.5 वर्ष (तीन सेमेस्टर)।
5. **स्टाइपेंड**:- रूपये 2500/- प्रतिमाह (सरकारी मानदंडों के अनुसार) ।
6. **अंतिम तिथि** :- निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र के साथ अपनी पात्रता की पुष्टि के रूप में स्व-प्रमाणित स्नातक/ डिप्लोमा के तीनो वर्षों की अंक तालिकायें, आरक्षित श्रेणी के लिये जाति प्रमाणपत्र (ओबीसी/एससी/एसटी/EWS) की छाया प्रतिलिपियां तथा जिस संस्था से अंत में अध्ययन किया हो, वहा से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ संबंधित संस्थान में निम्नलिखित पते पर विलम्बतम 08.07.2024 अथवा उससे पूर्व पहुँच जाने चाहिएः-

निदेशक,
भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान,
चौकाघाट, वाराणसी- 221002 (उ.प्र.)
फोन नं. 0542-2203833

नोटः अभ्यर्थी प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र वेबसाइट www.iihtvaranasi.edu.in अथवा www.handlooms.nic.in से प्राप्त (डाउनलोड) कर सकते है।
CBC 41102/11/0003/2425

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की प्रगति पर की चर्चा

उदयपुर, (कासं)। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) चांदमल वर्मा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार बड़गांव में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं मुख्यालय महिला पर्यवेक्षकों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रेंकर पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त निदेशक ने वृद्धि निगरानी एवं गृह भ्रमण में कम उपलब्धि के लिए प्रगति में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए। वर्मा ने पोषण ट्रेंकर पर आंगनवाडी केन्द्रों से संबंधित सूचना नियमित प्रतिदिन अपडेट करने एवं पोषण अभियान के अन्तर्गत संचालित पोषण ट्रेकर एप्प पर अधिक से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण करा समस्त प्रकार की सूचना इन्द्राज करवाने की बात कही और कम प्रगति वाली परियोजनाओं को आधार सीडिंग कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु पाबन्द किया।उन्होंने कहा कि आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के भी आधार वेरिफिकेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जावे। बैठक में वर्मा ने जिले में संचालित आइजीएमपीवाइ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की प्रगति पर चर्चा कर पात्र लाभार्थी को समय पर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए।

0ffice of The panchayat samiti Deogarh Dist-Rajsamand (Raj.)
serial number/P.S/accounts/tender/2024-25/348
Date:27.06.2024

E-Tender information

annual work contract for various drinking water construction works in panchayat samiti deogarh the estimated cost for year 2024-25 for panchayat samiti deogarh and subordinate gram panchayats is only rupees 45 lakhs. the tender for which is invited till 10 am on the date 12 .pm/08.07.24 detailed information can be seen at sppp.rajasthan. gov.in and eproc.rajasthan.gov.in

UBN NO- ZRR2425WSRC00075

Pradhan, Panchayat samiti, Deogarh
BDO, Panchayat samiti, Deogarh

दो ज्वेलर्स दुकानों से जेवरात चोरी

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले के गोगुन्दा कस्बे में अज्ञात बदमाश दो ज्वेलर्स दुकानों के शटर ऊंचे कर जेवरात व नकदी चुरा ले गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोगुन्दा कस्बे में मुख्य बाजार में स्थित हिमानी ज्वेलर्स एवं वासुदेव ज्वेलर्स के शटरों को ऊंचा कर अज्ञात चोर जेवरात व नकदी चुरा ले गए। रात में बदमाश शटर को उठा हिमानी ज्वेलर्स की दुकान से 4 किलों चांदी के जेवरात व 20 हजार रूपये नकदी तथा वासुदेव ज्वेलर्स से 15 ग्राम सोने के जेवरात व 4 किलों चांदी चुरा ले गए।

इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा पीडित रवी सोनी व घनश्याम सोनी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031, फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022
IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV-ए
(नियम 8 (6) 9 व (1) का प्रावधान देखें)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद् द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से कालम (ii) के अनुसार ऋण ग्रहिता(ओ) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) को सूचित किया जाता है कि कालम (iii) के अनुसार नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है, तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो पहले आईडीएफसी बैंक लि. के नाम से जाना जाता था, के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 04 जुलाई 2024 को "जहाँ है जैसी है", "जो कुछ है यह है" तथा "जो कुछ है वहाँ है" के आधार पर, जेसा नीचे वर्णित है, कालम (iv) के अनुसार ऋणग्रहिता (ओं) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को बकाया राशी की वसूली के लिये की जायेगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये क्रमशः आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेब साइट पर उपलब्ध कराये गये लिंक, अर्थात www.idfcfirstbank.com

निलामी का विवरण

क्र. सं.	(i) डिमांड नोटिस राशि	(ii) सहमति	(iii) नाम ऋण ग्रहिता (ओं) एवं सहऋणग्रहिता (ओं)	(iv) गिरवी सम्पत्ति का पता	(v) आरक्षित मूल्य राशि	(vi) ईएमडी राशि	(vii) निलामी की तिथि व समय	(viii) ईएमडी निलामी की तिथि व समय	(ix) सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	(x) अधिकृत अधिकारी का नाम व मोबाईल नं.
1	रूपये 866911.63/- डिमांड नोटिस तिथि 18 नवम्बर 2023	75364262	प्रहलाद प्रजापत एवं नारानी प्रहलाद	सम्पत्ति पट्टा नं. 086 बुक नं. 278 क्षेत्रफल 936 वर्ग फिट, ग्राम नारेला, ग्राम पंचायत-नारेला, पंचायत समिति चित्तौडगढ, तहसील व जिला-चित्तौडगढ़, राजस्थान-312207 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है पूर्व-घनश्याम सिंह जी की सम्पत्ति, पश्चिम-सत्यनारायण प्रजापत की सम्पत्ति, उत्तर-गदरी बावजी का स्थान, दक्षिण-रोड	रूपये 1170000.00/-	रूपये 117000.00/-	02 अगस्त 2024 प्रातः 10.00 से दिन में 1.00 तक	01 अगस्त 2024 प्रातः 10.00 से सायं 5.00 तक	25 जुलाई 2024 प्रातः 10.00 से सायं 4.00 तक	नाम-मंयक कुमार सम्पर्क नम्बर-9660307888 नाम-आंचल शर्मा, मोबाइल नम्बर-7737204242

अस्वीकरण- कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए जारी किया गया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चल सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, यदि कोई, अचल सम्पत्ति पर मौजूद हो।
दिनांक- 28.06.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान- राजस्थान आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)